सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्याः 25/2018

बुद्वीराम लहरी पुत्रश्री लक्ष्मणसिह जाति जाटव निवासी लहरी हाऊस गली नम्बर 3 सुन्दर कोलॉनी धौलपुर

............वादी

बनाम

1–रामखिलाडी पुत्र भोला 2–राजो पत्नी डरूआ 3–रामा पत्नी बाबूलाल समस्त जातिगण धोबी निवासीगण सालेपुर तहसील सैपऊ
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.... प्रतिवादीगण

वाद वास्ते ,बटवारा काश्त एवं
स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53,188

उपस्थिति – 1–श्री राजेन्द्रसिह राना एडवोकेट........ (वादी)

निर्णय दिनांक 21.08.2019

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 443 रकवा 1 वीघा 9 विश्वा स्थित वाके ग्र्राम सालेपुर तहसील सैपऊ में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है । भूमि का अभी बटवारा नही हुआ है। अब पक्षकारों के मध्य संयुक्त काश्त करना संभव नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण से बटवारा कराने की कही तो वह इंकारी हो गये । इसलिए वादी को बटबारा कराना आवश्यक हो गया। वादी विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स बटबारा कराने का अधिकारी है । अंन्त में वादी ने विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स बटवारा कर पृथक से खाता कायम कराने की प्रार्थना की है ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नही। अतः उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादगण विवादित आराजी के सहखातेदार है। अतः हम दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण

प्रारम्भिक डिक्री कर विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बटंवारा किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 443 रकवा 1 वीघा 9 विश्वा स्थित वाके ग्रम सालेपुर तहसील सैपऊ पर रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः तहसीलदार सैपऊ को 500/रूपये के हर्जे पर कमीश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारो की उपस्थिति में मुताबिक रिकॉर्ड/कब्जे अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी मे से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें। पर्चा प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिह लंबोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्डाधिकारी सैपऊ
व इजलास –हरीसिह लम्बोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या: 25/2018

बुद्वीराम लहरी पुत्रश्री लक्ष्मणसिह जाति जाटव निवासी लहरी हाऊस गली नम्बर 3 सुन्दर कोलॉनी धौलपुर

............वादी

बनाम

1–रामखिलाडी पुत्र भोला 2–राजो पत्नी डरूआ 3–रामा पत्नी बाबूलाल समस्त जातिगण धोबी निवासीगण सालेपुर तहसील सैपऊ
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.... प्रतिवादीगण

वाद वास्ते ,बटवारा काश्त एवं
स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53,188

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री राजेन्द्रसिह राना एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री +++++ एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा 443 रकवा 1 वीघा 9 विश्वा स्थित वाके ग्रम सालेपुर तहसील सैपऊ पर रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विवादित आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः तहसीलदार सैपऊ को 500/रूपये के हर्जे पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारो की उपस्थिति में रिकार्ड/कब्जे अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी मे से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें। पर्चा प्रारम्भिक डिकी जारी किया जावे।

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 21.08.2019 को जारी की गई।

(हरीसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ